न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : धारा सिंह मीना, RAS

अपील संख्या 128/2015

1 चौथूराम पुत्र भागूराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम आलमास तहसील फतेहपुर जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 राजेन्द्र प्रसाद पुत्र रामूराम।
2 रामूराम पुत्र भागूराम।
3 भेभली बेवाह भागूराम (मृतक)।
3/1 पतासी देवी पुत्री भेभली स्त्री बल्लूराम।
3/2 फूली देवी पुत्री भेभली स्त्री विनोद कुमार।
4 शिवलाल पुत्र सागर।
5 सुन्दरी बेवा सागर।
6 नन्दलाल पुत्र नरसाराम।
7 शिशपाल पुत्र मुरली उर्फ मूलाराम।
8 सुगनी देवी पत्नी कृष्णराम समस्त जाति मेघवाल निवासीगण आलमास तहसील फतेहपुर जिला सीकर।
9 शाखा प्रबन्धक बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा चूड़ी मियांन तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
10 तहसीलदार एवं उप पंजियक फतेहपुर तहसील फतेहपुर जिला सीकर।
11 हल्का पटवारी पटवार हल्का भींचरी तहसील फतेहपुर जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील विरूद्व आज्ञा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर दिनांकित 04.12.2015 जिसमें आगामी पेशी 21.12.2015 तक बउनवानी राजेन्द्र कुमार ब्नाम चौथूराम आदि प्रार्थना पत्र धारा 212 आर. टी.एक्ट मुकदमा नमबर 64/2015 आगामी पेशी 21.12.2015।

उपस्थिति :

1. श्री सांवरमल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री रिड़मल सिंह, अधिवक्ता अपीलांट
3. श्री पवन कुमार स्वामी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी

–निर्णय–

दिनांकः– 18/1/22

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर द्वारा मुकदमा नम्बर 64/2015 में पारित निर्णय दिनांक 21.12.2015 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में रेस्पोडेंट संख्या 1 ने अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन प्रस्तुत किया है। विचारण न्यायालय ने दिनांक 04.12.2015 को एक पक्षीय स्थगन जारी कर भूमि खसरा नम्बर 104,79 वाके ग्राम आलमास तहसील फतेहपुर की रिकार्ड की यथास्थिति का अन्तरिम स्थगन जारी किया है। इससे व्यथित होकर अप्रार्थी की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलांट विवादित भूमि का सहखातेदार है। अपीलांट को सुने बिना विचारण न्यायालय द्वारा एक पक्षीय स्थगन जारी किया गया है। अत अपील स्वीकार कर विचाराधीन एकपक्षीय स्थगन को खारिज किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि प्रस्तुत अपील अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। विधि अनुसार विचारण न्यायालय में प्रस्तुत धारा 212 के आवेदन का अन्तिम निस्तारण विचारण न्यायालय द्वारा उभयपक्ष को सुनकर किया जाना शेष है। अत अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत अपील अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। विधि अनुसार विचारण न्यायालय में प्रस्तुत धारा 212 के आवेदन का अन्तिम निस्तारण विचारण न्यायालय द्वारा उभयपक्ष को सुनकर किया जाना शेष है। ऐसी स्थिति में इस स्तर पर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा में हस्तक्षेप करना हम उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है एवं विचारण न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि उनके समक्ष लम्बित धारा 212 के आवेदन को आगामी 2 माह में अन्तिम रूप से निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 1/8/12 .... को सरे इजलास सुनाया गया।

(धारा सिंह मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर